रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 76] प्रयागराज, शनिवार, 26 फरवरी, 2022 ई० (फाल्गुन 7, 1943 शक संवत्) [संख्या 9

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग.अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	237–262	3075
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	141–154	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख–नगर पंचायत, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	..	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश		975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 6–क–भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	..	
भाग 8–सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	101–102	975
स्टोर्स–पचेज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

गृह विभाग

[पुलिस सेवायें]

अनुभाग-1

प्रोन्नति

05 जनवरी, 2022 ई0

सं0 19/छः पु0से0-1-2022-01(अधियाचन)/2021—चयन वर्ष 2021-2022 में प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग में पुलिस निरीक्षक से पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नति कोटे में अवधारित वास्तविक/परिणामी/सम्भावित रिक्तियों के सापेक्ष उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज में विभागीय चयन समिति की दिनांक 01 जनवरी, 2022 को अपरान्ह 01.30 बजे सम्पन्न बैठक में सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के पत्र संख्या 65/03/पी0/सेवा—1/2021—2022, दिनांक 04 जनवरी, 2022 द्वारा उपलब्ध करायी गयी।

अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, उ0प्र0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार माह दिसम्बर, 2021 में प्रोन्नति कोटे के अन्तर्गत पुलिस उपाधीक्षक के पद पर रिक्तियों की वास्तविक संख्या 26 है।

2—चयन वर्ष 2021-2022 में प्रान्तीय पुलिस सेवा के पदोन्नति कोटे में पुलिस उपाधीक्षक पद पर उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के अधीन गठित विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 01 जनवरी, 2022 के क्रम में मा0 आयोग की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित पुलिस निरीक्षकों की पुलिस उपाधीक्षक साधारण वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड वेतन रु0 5,400 पुनरीक्षित पे-मैट्रिक्स लेवल-10, रु0 56,100-1,77,500 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत करने की श्री राज्यपाल महोदया एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

क्रम संख्या		ज्येष्ठता सूची का क्रमांक (पुराना)	ज्येष्ठता सूची का क्रमांक (नया)
1	2	3	4
	सर्वश्री/श्रीमती—		
1	विनोद कुमार शर्मा	13	08
2	उदय प्रताप सिंह	14	09
3	अजय कुमार चौहान	44	14
4	रीता शुक्ला	51	15
5	बृजेन्द्र सिंह भडाना	60	17
6	संजय कुमार वर्मा	89	21
7	सुधीर कुमार त्यागी	104	22
8	प्रेम नारायण तिवारी	127	25
9	कौशल किशोर चौधरी	147	27
10	सुनील शर्मा	153	29
11	श्याम बहादुर सिंह	154	30

1	2	3	4
	सर्वश्री/श्रीमती–		
12	संजीव कटियार	155	31
13	नरसिंह नारायन शर्मा	156	32
14	सुनीता सिंह	157	33
15	मनोज कुमार शर्मा	158	34
16	सुनील कुमार राय	159	35
17	सुरेश सिंह	160	36
18	विजय लक्ष्मी पाण्डेय	161	37
19	सैयद मो0 असगर	163	38
20	सुनीता कुमारी	164	39
21	अनिल कुमार सचान	165	40
22	विनय कुमार सिंह	407	41
23	श्रीप्रकाश सिंह	166	43
24	संतोष कुमार सिंह	167	44
25	देवेन्द्र कुमार शर्मा	169	46
26	अरूण कुमार मिश्रा	170	47

प्रश्नगत चयन रिट याचिका संख्या 34799 (एस/एस)/2019 में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ में पारित आदेश दिनांक 22 सितम्बर, 2021 के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या 410/2021 उ0प्र0 राज्य बनाम विजय सिंह तथा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में लम्बित रिट याचिका संख्या 20914/2018 केशव चन्द्र राय बनाम उ0प्र0 राज्य एवं तद्सम्बन्धी अन्य रिट याचिकाओं सहित यदि कोई प्रत्यावेदन/विभागीय कार्यवाही लम्बित हो तो उसमें पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

3–उपर्युक्त प्रोन्नत आदेश में सम्मिलित कार्मिकों की तैनाती से पूर्व पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0/अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्मिकों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की विभागीय/अनुशासनिक कार्यवाही एवं ई0ओ0डब्लू0/ए0सी0ओ0/सीबीसीआईडी/सतर्कता जांच आदि प्रचलित/लम्बित नहीं है। इस सम्बन्ध में अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, उ0प्र0, लखनऊ स्वयं संतुष्ट हो लेंगे और यदि पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नत किसी कार्मिक के विरुद्ध कोई भी प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है तो तत्काल सम्बन्धित कार्मिक की प्रोन्नति प्रतिबन्धित करते हुये उसकी सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

4–पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नत कार्मिकों की तैनाती का आदेश निर्गत किये जाने से पूर्व अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रोन्नत कोटे में रिक्ति वास्तविक रूप से उपलब्ध हैं प्रोन्नति कोटा में वास्तविक रूप से रिक्तियां उपलब्ध होने पर ही प्रोन्नत आदेश के सापेक्ष तैनाती का आदेश पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा निर्गत किया जायेगा।

5–उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारी 02 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे।

अनुभाग-2

पदोन्नति

04 जनवरी, 2022 ई0

सं0 1636/छःपु0से0-2-21-522(87)/2021—राज्य पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा (उ0प्र0 संवर्ग) में सेलेक्ट लिस्ट 2015 के आधार पर चयनित अधिकारियों की ज्येष्ठता मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिकाओं के अन्तिम निर्णय के अधीन गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अपने आदेश संख्या I-15016/26/2021-आईपीएस-I (पार्ट-II), दिनांक 27 दिसम्बर, 2021 के माध्यम से वर्ष 2010 के स्थान पर वर्ष 2008 बैच निर्धारित की गयी।

2—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के उक्त आदेश दिनांक 27 दिसम्बर, 2021 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में सेलेक्ट लिस्ट 2015 के आधार पर चयनित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कालम 4/5 में अंकित तिथि से सेलेक्शन ग्रेड (वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-13 रु0 1,23,100-2,15,900) एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक (वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-13ए रु0 1,31,100-2,16,600) के पद पर पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

क्र0	अधिकारी का नाम	बैच	सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य किये जाने की तिथि	पुलिस उप महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नति की तिथि
1	2	3	4	5
	सर्वश्री—			
1	सन्तोष कुमार सिंह	2008	01-01-2021	01-01-2022
2	अमरेन्द्र प्रसाद सिंह	2008	01-01-2021	01-01-2022
3	डा0 अखिलेश कुमार निगम	2008	01-01-2021	01-01-2022
4	लल्लन सिंह	2008	01-01-2021	01-01-2022
5	गहेन्द्र यादव	2008	01-01-2021	01-01-2022
6	राहुल यादवेन्दु (दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 को से0नि0)	2008	01-01-2021	—

आज्ञा से,
अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव।

लोक निर्माण विभाग

अनुभाग-3

कार्यालय-ज्ञाप

28 दिसम्बर, 2021 ई0

सं0 86/2021/3840/23-3-2021-47 ईएस/2006-टीसी—तात्कालिक प्रभाव से श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव, प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग को अस्थाई रूप से निम्नलिखित कार्य एतद्द्वारा आवंटित किया जाता है—

(1) जांच एवं परिवाद से संबंधित समस्त कार्य।

(2) मुख्य अभियंता (मुख्यालय-2) से संबंधित समस्त कार्य जैसे कोर्ट केसेज, श्रेणी-3 व 4 के व्यवस्थापन/अधिष्ठान/रजिस्ट्रेशन/भूमि अध्याप्ति आदि समस्त कार्य।

(3) विद्युत्/यांत्रिक शाखा से संबंधित समस्त कार्य तथा इस शाखा के अधिकारियों के अधिष्ठान से संबंधित समस्त कार्य।

(4) प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग व उच्च स्तर से सौंपे गये कार्य।

आज्ञा से,
नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव।

अनुभाग-4

औपबंधिक नियुक्ति

06 अक्टूबर, 2021 ई0

सं0 1858/23-4-2021-64 जनरल/21—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य चयन/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र संख्या 43/1/ई-4/2019-20टी0सी0-I, दिनांक 25 जून, 2021 द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री कोशल कुमार शर्मा पुत्र श्री एच0डी0 शर्मा (अनुक्रमांक-126733) को लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड-3, रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे-5,400 (सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के क्रम में पुनरीक्षित लेवल-10) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में औपबंधिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) उनकी सेवायें उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग समूह 'ख' सिविल इंजीनियरिंग सेवा नियमावली, 2004 के प्राविधानों से शासित होंगी तथा ऐसी अन्य सेवा शर्तें भी उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायें।

(2) उ0प्र0 सरकारी सेवक परिवीक्षा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016 जो उत्तर प्रदेश के समस्त सरकारी सेवकों की सेवा नियमावलियों पर अध्यारोही प्रभाव से लागू हैं, के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

(3) यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हों तो नियुक्ति-पत्र की प्राप्ति के एक माह की अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में निम्नलिखित अभिलेखों एवं सूचनाओं के साथ उपस्थित हों—

[क] केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवाओं के संबंध में घोषणा।

[ख] अपने कर्जदार होने/न होने की घोषणा।

[ग] निज स्वामित्व की समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा।

[घ] एक से अधिक पत्नी/पति न होने की घोषणा।

[ङ] निजी विवरण।

[च] राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।

[छ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।

[ज] इण्डियन आफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने से संबंधित घोषणा-पत्र।

[झ] हाई स्कूल का प्रमाण-पत्र।

[ञ] वैवाहिक स्थिति में दहेज न लेने विषयक घोषणा।

(4) प्रथम नियुक्ति के समय विभाग में योगदान करने हेतु किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

(5) यदि संबंधित अभ्यर्थी दूसरे विभाग में कार्यरत हैं और वहां से नियमानुसार कार्य मुक्त होकर/पूर्ववर्ती विभाग की सेवायें छोड़कर लोक निर्माण विभाग में योगदान देता है तो उसे अपनी पूर्ववर्ती विभाग से "नो ड्यूज" का प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

(6) संबंधित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही रहेगी, जो लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 25 जून, 2021 द्वारा निर्धारित है और विभाग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि भिन्न-भिन्न होने की दशा में भी ज्येष्ठता क्रमांक लोक सेवा आयोग की संस्तुति के आधार पर ही समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(7) संबंधित अभ्यर्थी प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय का शपथ-पत्र देंगे कि चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण/स्वघोषणा-पत्र/अनिवार्य शैक्षिक योग्यता आदि के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने एवं उनके संबंध में कोई विधि विरुद्ध प्रमाणित तथ्य संज्ञान में आने की दशा में उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

(8) यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(9) संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति-पत्र प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण कर लें, यदि वे निर्धारित समयावधि के अन्दर युक्तियुक्त कारण के बिना योगदान नहीं करते हैं तो यह समझा जायेगा कि वे उपर्युक्त पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन समाप्त करने की कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा।

(10) संबंधित नवनियुक्त सहायक अभियन्ता (सिविल) की तैनाती के संबंध में पृथक् से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

सं0 1859/23-4-2021-64 जनरल/21—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य चयन/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र संख्या 43/1/ई-4/2019-20टी0सी0-I, दिनांक 25 जून, 2021 द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री प्रकाश प्रसाद सिंह पुत्र श्री रामाज्ञा प्रसाद (अनुक्रमांक-078657) को लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड-3, रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे-5,400 (सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के क्रम में पुनरीक्षित लेवल-10) में

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में औपबंधिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) उनकी सेवायें उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग समूह 'ख' सिविल इंजीनियरिंग सेवा नियमावली, 2004 के प्राविधानों से शासित होंगी तथा ऐसी अन्य सेवा शर्तें भी उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायें।

(2) उ0प्र0 सरकारी सेवक परिवीक्षा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016 जो उत्तर प्रदेश के समस्त सरकारी सेवकों की सेवा नियमावलियों पर अध्यारोही प्रभाव से लागू हैं, के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

(3) यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हों तो नियुक्ति-पत्र की प्राप्ति के एक माह की अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में निम्नलिखित अभिलेखों एवं सूचनाओं के साथ उपस्थित हों–

[क] केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवाओं के संबंध में घोषणा।

[ख] अपने कर्जदार होने/न होने की घोषणा।

[ग] निज स्वामित्व की समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा।

[घ] एक से अधिक पत्नी/पति न होने की घोषणा।

[ङ] निजी विवरण।

[च] राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।

[छ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।

[ज] इण्डियन आफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने से संबंधित घोषणा-पत्र।

[झ] हाई स्कूल का प्रमाण-पत्र।

[ञ] वैवाहिक स्थिति में दहेज न लेने विषयक घोषणा।

(4) प्रथम नियुक्ति के समय विभाग में योगदान करने हेतु किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

(5) यदि संबंधित अभ्यर्थी दूसरे विभाग में कार्यरत है और वहां से नियमानुसार कार्य मुक्त होकर/पूर्ववर्ती विभाग की सेवायें छोड़कर लोक निर्माण विभाग में योगदान देता है तो उसे अपनी पूर्ववर्ती विभाग से "नो ड्यूज" का प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

(6) संबंधित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही रहेगी, जो लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 25 जून, 2021 द्वारा निर्धारित है और विभाग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि भिन्न-भिन्न होने की दशा में भी ज्येष्ठता क्रमांक लोक सेवा आयोग की संस्तुति के आधार पर ही समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(7) संबंधित अभ्यर्थी प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय का शपथ-पत्र देंगे कि चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण/स्वघोषणा-पत्र/अनिवार्य शैक्षिक योग्यता

आदि के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने एवं उनके संबंध में कोई विधि विरुद्ध प्रमाणित तथ्य संज्ञान में आने की दशा में उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

(8) यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(9) संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति-पत्र प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण कर लें, यदि वे निर्धारित समयावधि के अन्दर युक्तियुक्त कारण के बिना योगदान नहीं करते हैं तो यह समझा जायेगा कि वे उपर्युक्त पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन समाप्त करने की कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा।

(10) संबंधित नवनियुक्त सहायक अभियन्ता (सिविल) की तैनाती के संबंध में पृथक् से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

सं0 1860/23-4-2021-64 जनरल/21—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य चयन/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र संख्या 43/1/ई-4/2019-20टी0सी0-I, दिनांक 25 जून, 2021 द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री अंशुमान त्रिपाठी पुत्र श्री घनश्याम प्रसाद त्रिपाठी (अनुक्रमांक-003189) को लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड-3, रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे-5,400 (सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के क्रम में पुनरीक्षित लेवल-10) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में औपबंधिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) उनकी सेवायें उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग समूह 'ख' सिविल इंजीनियरिंग सेवा नियमावली, 2004 के प्राविधानों से शासित होंगी तथा ऐसी अन्य सेवा शर्तें भी उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायें।

(2) उ0प्र0 सरकारी सेवक परिवीक्षा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016 जो उत्तर प्रदेश के समस्त सरकारी सेवकों की सेवा नियमावलियों पर अध्यारोही प्रभाव से लागू हैं, के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

(3) यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हों तो नियुक्ति-पत्र की प्राप्ति के एक माह की अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में निम्नलिखित अभिलेखों एवं सूचनाओं के साथ उपस्थित हों—

[क] केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवाओं के संबंध में घोषणा।

[ख] अपने कर्जदार होने/न होने की घोषणा।

[ग] निज स्वामित्व की समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा।

[घ] एक से अधिक पत्नी/पति न होने की घोषणा।

[ङ] निजी विवरण।

[च] राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।

[छ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।

[ज] इण्डियन आफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने से संबंधित घोषणा-पत्र।

[झ] हाई स्कूल का प्रमाण-पत्र।

[ञ] वैवाहिक स्थिति में दहेज न लेने विषयक घोषणा।

(4) प्रथम नियुक्ति के समय विभाग में योगदान करने हेतु किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

(5) यदि संबंधित अभ्यर्थी दूसरे विभाग में कार्यरत हैं और वहां से नियमानुसार कार्य मुक्त होकर/पूर्ववर्ती विभाग की सेवायें छोड़कर लोक निर्माण विभाग में योगदान देता है तो उसे अपनी पूर्ववर्ती विभाग से "नो ड्यूज" का प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

(6) संबंधित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही रहेगी, जो लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 25 जून, 2021 द्वारा निर्धारित है और विभाग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि भिन्न-भिन्न होने की दशा में भी ज्येष्ठता क्रमांक लोक सेवा आयोग की संस्तुति के आधार पर ही समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(7) संबंधित अभ्यर्थी प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय का शपथ-पत्र देंगे कि चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण/स्वघोषणा-पत्र/अनिवार्य शैक्षिक योग्यता आदि के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने एवं उनके संबंध में कोई विधि विरुद्ध प्रमाणित तथ्य संज्ञान में आने की दशा में उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

(8) यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(9) संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति-पत्र प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण कर लें, यदि वे निर्धारित समयावधि के अन्दर युक्तियुक्त कारण के बिना योगदान नहीं करते हैं तो यह समझा जायेगा कि वे उपर्युक्त पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन समाप्त करने की कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा।

(10) संबंधित नवनियुक्त सहायक अभियन्ता (सिविल) की तैनाती के संबंध में पृथक् से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

सं0 1861/23-4-2021-64 जनरल/21—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य चयन/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र संख्या 43/1/ई-4/2019-20टी0सी0-I, दिनांक 25 जून, 2021 द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री संजय कुमार यादव पुत्र श्री महेन्द्र प्रसाद यादव (अनुक्रमांक-136720) को लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल)

के पद पर वेतन बैण्ड-3, रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे-5,400 (सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के क्रम में पुनरीक्षित लेवल-10) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में औपबंधिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) उनकी सेवायें उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग समूह 'ख' सिविल इंजीनियरिंग सेवा नियमावली, 2004 के प्राविधानों से शासित होंगी तथा ऐसी अन्य सेवा शर्तें भी उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायें।

(2) उ0प्र0 सरकारी सेवक परिवीक्षा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016 जो उत्तर प्रदेश के समस्त सरकारी सेवकों की सेवा नियमावलियों पर अध्यारोही प्रभाव से लागू हैं, के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

(3) यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हों तो नियुक्ति-पत्र की प्राप्ति के एक माह की अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में निम्नलिखित अभिलेखों एवं सूचनाओं के साथ उपस्थित हों–

[क] केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवाओं के संबंध में घोषणा।

[ख] अपने कर्जदार होने न होने की घोषणा।

[ग] निज स्वामित्व की समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा।

[घ] एक से अधिक पत्नी/पति न होने की घोषणा।

[ङ] निजी विवरण।

[च] राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।

[छ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।

[ज] इण्डियन आफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने से संबंधित घोषणा-पत्र।

[झ] हाई स्कूल का प्रमाण-पत्र।

[ञ] वैवाहिक स्थिति में दहेज न लेने विषयक घोषणा।

(4) प्रथम नियुक्ति के समय विभाग में योगदान करने हेतु किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

(5) यदि संबंधित अभ्यर्थी दूसरे विभाग में कार्यरत हैं और वहां से नियमानुसार कार्य मुक्त होकर/पूर्ववर्ती विभाग की सेवायें छोड़कर लोक निर्माण विभाग में योगदान देता है तो उसे अपनी पूर्ववर्ती विभाग से "नो ड्यूज" का प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

(6) संबंधित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही रहेगी, जो लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 25 जून, 2021 द्वारा निर्धारित है और विभाग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि भिन्न-भिन्न होने की दशा में भी ज्येष्ठता क्रमांक लोक सेवा आयोग की संस्तुति के आधार पर ही समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(7) संबंधित अभ्यर्थी प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय का शपथ-पत्र देंगे कि चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण/स्वघोषणा-पत्र/अनिवार्य शैक्षिक योग्यता आदि के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने एवं उनके संबंध में कोई विधि विरुद्ध प्रमाणित तथ्य संज्ञान में आने की दशा में उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

(8) यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(9) संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति-पत्र प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण कर लें, यदि वे निर्धारित समयावधि के अन्दर युक्तियुक्त कारण के बिना योगदान नहीं करते हैं तो यह समझा जायेगा कि वे उपर्युक्त पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन समाप्त करने की कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा।

(10) संबंधित नवनियुक्त सहायक अभियन्ता (सिविल) की तैनाती के संबंध में पृथक् से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

सं0 1862/23-4-2021-64 जनरल/21—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य चयन/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र संख्या 43/1/ई-4/2019-20टी0सी0-I, दिनांक 25 जून, 2021 द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री अनिल कुमार यादव पुत्र श्री वीरेन्द्र यादव (अनुक्रमांक-065488) को लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड-3, रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे-5,400 (सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के क्रम में पुनरीक्षित लेवल-10) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में औपबंधिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) उनकी सेवायें उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग समूह 'ख' सिविल इंजीनियरिंग सेवा नियमावली, 2004 के प्राविधानों से शासित होंगी तथा ऐसी अन्य सेवा शर्तें भी उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायें।

(2) उ0प्र0 सरकारी सेवक परिवीक्षा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016 जो उत्तर प्रदेश के समस्त सरकारी सेवकों की सेवा नियमावलियों पर अध्यारोही प्रभाव से लागू हैं, के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

(3) यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हों तो नियुक्ति-पत्र की प्राप्ति के एक माह की अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में निम्नलिखित अभिलेखों एवं सूचनाओं के साथ उपस्थित हों—

[क] केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवाओं के संबंध में घोषणा।

[ख] अपने कर्जदार होने न होने की घोषणा।

[ग] निज स्वामित्व की समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा।

[घ] एक से अधिक पत्नी/पति न होने की घोषणा।

[ङ] निजी विवरण।

[च] राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।

[छ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।

[ज] इण्डियन आफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने से संबंधित घोषणा-पत्र।

[झ] हाई स्कूल का प्रमाण-पत्र।

[ञ] वैवाहिक स्थिति में दहेज न लेने विषयक घोषणा।

(4) प्रथम नियुक्ति के समय विभाग में योगदान करने हेतु किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

(5) यदि संबंधित अभ्यर्थी दूसरे विभाग में कार्यरत हैं और वहां से नियमानुसार कार्य मुक्त होकर/पूर्ववर्ती विभाग की सेवायें छोड़कर लोक निर्माण विभाग में योगदान देता है तो उसे अपनी पूर्ववर्ती विभाग से "नो ड्यूज" का प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

(6) संबंधित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही रहेगी, जो लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 25 जून, 2021 द्वारा निर्धारित है और विभाग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि भिन्न-भिन्न होने की दशा में भी ज्येष्ठता क्रमांक लोक सेवा आयोग की संस्तुति के आधार पर ही समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(7) संबंधित अभ्यर्थी प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय का शपथ-पत्र देंगे कि चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण/स्वघोषणा-पत्र/अनिवार्य शैक्षिक योग्यता आदि के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने एवं उनके संबंध में कोई विधि विरुद्ध प्रमाणित तथ्य संज्ञान में आने की दशा में उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

(8) यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(9) संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति-पत्र प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण कर लें, यदि वे निर्धारित समयावधि के अन्दर युक्तियुक्त कारण के बिना योगदान नहीं करते हैं तो यह समझा जायेगा कि वे उपर्युक्त पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन समाप्त करने की कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा।

(10) संबंधित नवनियुक्त सहायक अभियन्ता (सिविल) की तैनाती के संबंध में पृथक् से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

सं0 1863/23-4-2021-64 जनरल/21—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य चयन/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र संख्या 43/1/ई-4/2019-20टी0सी0-I, दिनांक 25 जून, 2021 द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री संघ प्रिय गौतम पुत्र श्री देवी सहाय (अनुक्रमांक-128060) को लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद

पर वेतन बैण्ड-3, रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे-5,400 (सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के क्रम में पुनरीक्षित लेवल-10) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में औपबंधिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) उनकी सेवायें उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग समूह 'ख' सिविल इंजीनियरिंग सेवा नियमावली, 2004 के प्राविधानों से शासित होंगी तथा ऐसी अन्य सेवा शर्तें भी उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायें।

(2) उ0प्र0 सरकारी सेवक परिवीक्षा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016 जो उत्तर प्रदेश के समस्त सरकारी सेवकों की सेवा नियमावलियों पर अध्यारोही प्रभाव से लागू हैं, के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

(3) यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हों तो नियुक्ति-पत्र की प्राप्ति के एक माह की अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में निम्नलिखित अभिलेखों एवं सूचनाओं के साथ उपस्थित हों–

[क] केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवाओं के संबंध में घोषणा।

[ख] अपने कर्जदार होने न होने की घोषणा।

[ग] निज स्वामित्व की समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा।

[घ] एक से अधिक पत्नी/पति न होने की घोषणा।

[ङ] निजी विवरण।

[च] राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।

[छ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।

[ज] इण्डियन आफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने से संबंधित घोषणा-पत्र।

[झ] हाई स्कूल का प्रमाण-पत्र।

[ञ] वैवाहिक स्थिति में दहेज न लेने विषयक घोषणा।

(4) प्रथम नियुक्ति के समय विभाग में योगदान करने हेतु किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

(5) यदि संबंधित अभ्यर्थी दूसरे विभाग में कार्यरत हैं और वहां से नियमानुसार कार्य मुक्त होकर/पूर्ववर्ती विभाग की सेवायें छोड़कर लोक निर्माण विभाग में योगदान देता है तो उसे अपनी पूर्ववर्ती विभाग से "नो ड्यूज" का प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

(6) संबंधित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही रहेगी, जो लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 25 जून, 2021 द्वारा निर्धारित है और विभाग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि भिन्न-भिन्न होने की दशा में भी ज्येष्ठता क्रमांक लोक सेवा आयोग की संस्तुति के आधार पर ही समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(7) संबंधित अभ्यर्थी प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय का शपथ-पत्र देंगे कि चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण/स्वघोषणा-पत्र/अनिवार्य शैक्षिक योग्यता आदि के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने एवं उनके संबंध में कोई विधि विरुद्ध प्रमाणित तथ्य संज्ञान में आने की दशा में उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

(8) यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(9) संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति-पत्र प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण कर लें, यदि वे निर्धारित समयावधि के अन्दर युक्तियुक्त कारण के बिना योगदान नहीं करते हैं तो यह समझा जायेगा कि वे उपर्युक्त पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन समाप्त करने की कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा।

(10) संबंधित नवनियुक्त सहायक अभियन्ता (सिविल) की तैनाती के संबंध में पृथक् से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

सं0 1864/23-4-2021-64 जनरल/21—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य चयन/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र संख्या 43/1/ई-4/2019-20टी0सी0-I, दिनांक 25 जून, 2021 द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री सत्यम गुप्ता पुत्र श्री रमेश चन्द्र गुप्ता (अनुक्रमांक-050601) को लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड-3, रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे-5,400 (सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के क्रम में पुनरीक्षित लेवल-10) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में औपबंधिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) उनकी सेवायें उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग समूह 'ख' सिविल इंजीनियरिंग सेवा नियमावली, 2004 के प्राविधानों से शासित होंगी तथा ऐसी अन्य सेवा शर्तें भी उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायें।

(2) उ0प्र0 सरकारी सेवक परिवीक्षा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016 जो उत्तर प्रदेश के समस्त सरकारी सेवकों की सेवा नियमावलियों पर अध्यारोही प्रभाव से लागू हैं, के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

(3) यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हों तो नियुक्ति-पत्र की प्राप्ति के एक माह की अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में निम्नलिखित अभिलेखों एवं सूचनाओं के साथ उपस्थित हों—

[क] केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवाओं के संबंध में घोषणा।

[ख] अपने कर्जदार होने न होने की घोषणा।

[ग] निज स्वामित्व की समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा।

[घ] एक से अधिक पत्नी/पति न होने की घोषणा।

[ङ] निजी विवरण।

[च] राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।

[छ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।

[ज] इण्डियन आफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने से संबंधित घोषणा-पत्र।

[झ] हाई स्कूल का प्रमाण-पत्र।

[ञ] वैवाहिक स्थिति में दहेज न लेने विषयक घोषणा।

(4) प्रथम नियुक्ति के समय विभाग में योगदान करने हेतु किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

(5) यदि संबंधित अभ्यर्थी दूसरे विभाग में कार्यरत हैं और वहां से नियमानुसार कार्य मुक्त होकर/पूर्ववर्ती विभाग की सेवायें छोड़कर लोक निर्माण विभाग में योगदान देता है तो उसे अपनी पूर्ववर्ती विभाग से "नो ड्यूज" का प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

(6) संबंधित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही रहेगी, जो लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 25 जून, 2021 द्वारा निर्धारित है और विभाग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि भिन्न-भिन्न होने की दशा में भी ज्येष्ठता क्रमांक लोक सेवा आयोग की संस्तुति के आधार पर ही समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(7) संबंधित अभ्यर्थी प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय का शपथ-पत्र देंगे कि चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण/स्वघोषणा-पत्र/अनिवार्य शैक्षिक योग्यता आदि के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने एवं उनके संबंध में कोई विधि विरुद्ध प्रमाणित तथ्य संज्ञान में आने की दशा में उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

(8) यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(9) संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति-पत्र प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण कर लें, यदि वे निर्धारित समयावधि के अन्दर युक्तियुक्त कारण के बिना योगदान नहीं करते हैं तो यह समझा जायेगा कि वे उपर्युक्त पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन समाप्त करने की कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा।

(10) संबंधित नवनियुक्त सहायक अभियन्ता (सिविल) की तैनाती के संबंध में पृथक् से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

सं0 1865/23-4-2021-64 जनरल/21—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य चयन/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र संख्या 43/1/ई-4/2019-20टी0सी0-I, दिनांक 25 जून, 2021 द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी सुश्री आकांक्षा अग्रवाल श्री आनन्द कुमार अग्रवाल (अनुक्रमांक-030767) को लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड-3, रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे-5,400 (सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के क्रम में

पुनरीक्षित लेवल-10) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में औपबंधिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) उनकी सेवायें उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग समूह 'ख' सिविल इंजीनियरिंग सेवा नियमावली, 2004 के प्राविधानों से शासित होंगी तथा ऐसी अन्य सेवा शर्तें भी उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायें।

(2) उ0प्र0 सरकारी सेवक परिवीक्षा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016 जो उत्तर प्रदेश के समस्त सरकारी सेवकों की सेवा नियमावलियों पर अध्यारोही प्रभाव से लागू हैं, के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

(3) यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हों तो नियुक्ति-पत्र की प्राप्ति के एक माह की अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में निम्नलिखित अभिलेखों एवं सूचनाओं के साथ उपस्थित हों–

[क] केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवाओं के संबंध में घोषणा।

[ख] अपने कर्जदार होने न होने की घोषणा।

[ग] निज स्वामित्व की समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा।

[घ] एक से अधिक पत्नी/पति न होने की घोषणा।

[ङ] निजी विवरण।

[च] राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।

[छ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।

[ज] इण्डियन आफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने से संबंधित घोषणा-पत्र।

[झ] हाई स्कूल का प्रमाण-पत्र।

[ञ] वैवाहिक स्थिति में दहेज न लेने विषयक घोषणा।

(4) प्रथम नियुक्ति के समय विभाग में योगदान करने हेतु किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

(5) यदि संबंधित अभ्यर्थी दूसरे विभाग में कार्यरत हैं और वहां से नियमानुसार कार्य मुक्त होकर/पूर्ववर्ती विभाग की सेवायें छोड़कर लोक निर्माण विभाग में योगदान देता है तो उसे अपनी पूर्ववर्ती विभाग से "नो ड्यूज" का प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

(6) संबंधित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही रहेगी, जो लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 25 जून, 2021 द्वारा निर्धारित है और विभाग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि भिन्न-भिन्न होने की दशा में भी ज्येष्ठता क्रमांक लोक सेवा आयोग की संस्तुति के आधार पर ही समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(7) संबंधित अभ्यर्थी प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय का शपथ-पत्र देंगे कि चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण/स्वघोषणा-पत्र/अनिवार्य शैक्षिक योग्यता

आदि के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने एवं उनके संबंध में कोई विधि विरुद्ध प्रमाणित तथ्य संज्ञान में आने की दशा में उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

(8) यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(9) संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति-पत्र प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण कर लें, यदि वे निर्धारित समयावधि के अन्दर युक्तियुक्त कारण के बिना योगदान नहीं करते हैं तो यह समझा जायेगा कि वे उपर्युक्त पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन समाप्त करने की कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा।

(10) संबंधित नवनियुक्त सहायक अभियन्ता (सिविल) की तैनाती के संबंध में पृथक् से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

सं0 1866/23-4-2021-64 जनरल/21—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य चयन/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र संख्या 43/1/ई-4/2019-20टी0सी0-I, दिनांक 25 जून, 2021 द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री आमिर सुल्तान पुत्र श्री रियासत अली (अनुक्रमांक-005586) को लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड-3, रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे-5,400 (सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के क्रम में पुनरीक्षित लेवल-10) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में औपबंधिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) उनकी सेवायें उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग समूह 'ख' सिविल इंजीनियरिंग सेवा नियमावली, 2004 के प्राविधानों से शासित होंगी तथा ऐसी अन्य सेवा शर्तें भी उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायें।

(2) उ0प्र0 सरकारी सेवक परिवीक्षा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016 जो उत्तर प्रदेश के समस्त सरकारी सेवकों की सेवा नियमावलियों पर अध्यारोही प्रभाव से लागू हैं, के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

(3) यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हों तो नियुक्ति-पत्र की प्राप्ति के एक माह की अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में निम्नलिखित अभिलेखों एवं सूचनाओं के साथ उपस्थित हों—

[क] केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवाओं के संबंध में घोषणा।

[ख] अपने कर्जदार होने न होने की घोषणा।

[ग] निज स्वामित्व की समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा।

[घ] एक से अधिक पत्नी/पति न होने की घोषणा।

[ङ] निजी विवरण।

[च] राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।

[छ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।

[ज] इण्डियन आफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने से संबंधित घोषणा-पत्र।

[झ] हाई स्कूल का प्रमाण-पत्र।

[ञ] वैवाहिक स्थिति में दहेज न लेने विषयक घोषणा।

(4) प्रथम नियुक्ति के समय विभाग में योगदान करने हेतु किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

(5) यदि संबंधित अभ्यर्थी दूसरे विभाग में कार्यरत हैं और वहां से नियमानुसार कार्य मुक्त होकर/पूर्ववर्ती विभाग की सेवायें छोड़कर लोक निर्माण विभाग में योगदान देता है तो उसे अपनी पूर्ववर्ती विभाग से "नो ड्यूज" का प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

(6) संबंधित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही रहेगी, जो लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 25 जून, 2021 द्वारा निर्धारित है और विभाग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि भिन्न-भिन्न होने की दशा में भी ज्येष्ठता क्रमांक लोक सेवा आयोग की संस्तुति के आधार पर ही समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(7) संबंधित अभ्यर्थी प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय का शपथ-पत्र देंगे कि चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण/स्वघोषणा-पत्र/अनिवार्य शैक्षिक योग्यता आदि के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने एवं उनके संबंध में कोई विधि विरुद्ध प्रमाणित तथ्य संज्ञान में आने की दशा में उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

(8) यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(9) संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति-पत्र प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण कर लें, यदि वे निर्धारित समयावधि के अन्दर युक्तियुक्त कारण के बिना योगदान नहीं करते हैं तो यह समझा जायेगा कि वे उपर्युक्त पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन समाप्त करने की कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा।

(10) संबंधित नवनियुक्त सहायक अभियन्ता (सिविल) की तैनाती के संबंध में पृथक् से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

सं0 1867/23-4-2021-64 जनरल/21—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य चयन/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र संख्या 43/1/ई-4/2019-20टी0सी0-I, दिनांक 25 जून, 2021 द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री दिलीप कुमार चौधरी पुत्र श्री रामनरेश चौधरी (अनुक्रमांक-117711) को लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड-3, रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे-5,400 (सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के क्रम में पुनरीक्षित लेवल-10) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में औपबंधिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) उनकी सेवायें उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग समूह 'ख' सिविल इंजीनियरिंग सेवा नियमावली, 2004 के प्राविधानों से शासित होंगी तथा ऐसी अन्य सेवा शर्तें भी उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायें।

(2) उ0प्र0 सरकारी सेवक परिवीक्षा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016 जो उत्तर प्रदेश के समस्त सरकारी सेवकों की सेवा नियमावलियों पर अध्यारोही प्रभाव से लागू हैं, के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

(3) यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हों तो नियुक्ति-पत्र की प्राप्ति के एक माह की अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में निम्नलिखित अभिलेखों एवं सूचनाओं के साथ उपस्थित हों–

[क] केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवाओं के संबंध में घोषणा।

[ख] अपने कर्जदार होने न होने की घोषणा।

[ग] निज स्वामित्व की समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा।

[घ] एक से अधिक पत्नी/पति न होने की घोषणा।

[ङ] निजी विवरण।

[च] राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।

[छ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।

[ज] इण्डियन आफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने से संबंधित घोषणा-पत्र।

[झ] हाई स्कूल का प्रमाण-पत्र।

[ञ] वैवाहिक स्थिति में दहेज न लेने विषयक घोषणा।

(4) प्रथम नियुक्ति के समय विभाग में योगदान करने हेतु किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

(5) यदि संबंधित अभ्यर्थी दूसरे विभाग में कार्यरत हैं और वहां से नियमानुसार कार्य मुक्त होकर/पूर्ववर्ती विभाग की सेवायें छोड़कर लोक निर्माण विभाग में योगदान देता है तो उसे अपनी पूर्ववर्ती विभाग से "नो ड्यूज" का प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

(6) संबंधित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही रहेगी, जो लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 25 जून, 2021 द्वारा निर्धारित है और विभाग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि भिन्न-भिन्न होने की दशा में भी ज्येष्ठता क्रमांक लोक सेवा आयोग की संस्तुति के आधार पर ही समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(7) संबंधित अभ्यर्थी प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय का शपथ-पत्र देंगे कि चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण/स्वघोषणा-पत्र/अनिवार्य शैक्षिक योग्यता आदि के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने एवं उनके संबंध में कोई विधि विरुद्ध प्रमाणित तथ्य संज्ञान में आने की दशा में उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

(8) यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(9) संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति-पत्र प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण कर लें, यदि वे निर्धारित समयावधि के अन्दर युक्तियुक्त कारण के बिना योगदान नहीं करते हैं तो यह समझा जायेगा कि वे उपर्युक्त पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन समाप्त करने की कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा।

(10) संबंधित नवनियुक्त सहायक अभियन्ता (सिविल) की तैनाती के संबंध में पृथक् से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

सं0 1868/23-4-2021-64 जनरल/21—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य चयन/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र संख्या 43/1/ई-4/2019-20टी0सी0-I, दिनांक 25 जून, 2021 द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री दानिश खान पुत्र स्व0 आसिफ हुसैन खान (अनुक्रमांक-020231) को लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड-3, रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे-5,400 (सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के क्रम में पुनरीक्षित लेवल-10) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में औपबंधिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) उनकी सेवायें उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग समूह 'ख' सिविल इंजीनियरिंग सेवा नियमावली, 2004 के प्राविधानों से शासित होंगी तथा ऐसी अन्य सेवा शर्तें भी उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायें।

(2) उ0प्र0 सरकारी सेवक परिवीक्षा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016 जो उत्तर प्रदेश के समस्त सरकारी सेवकों की सेवा नियमावलियों पर अध्यारोही प्रभाव से लागू हैं, के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

(3) यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हों तो नियुक्ति-पत्र की प्राप्ति के एक माह की अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में निम्नलिखित अभिलेखों एवं सूचनाओं के साथ उपस्थित हों—

[क] केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवाओं के संबंध में घोषणा।

[ख] अपने कर्जदार होने न होने की घोषणा।

[ग] निज स्वामित्व की समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा।

[घ] एक से अधिक पत्नी/पति न होने की घोषणा।

[ङ] निजी विवरण।

[च] राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।

[छ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।

[ज] इण्डियन आफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने से संबंधित घोषणा-पत्र।

[झ] हाई स्कूल का प्रमाण-पत्र।

[ञ] वैवाहिक स्थिति में दहेज न लेने विषयक घोषणा।

(4) प्रथम नियुक्ति के समय विभाग में योगदान करने हेतु किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

(5) यदि संबंधित अभ्यर्थी दूसरे विभाग में कार्यरत हैं और वहां से नियमानुसार कार्य मुक्त होकर/पूर्ववर्ती विभाग की सेवायें छोड़कर लोक निर्माण विभाग में योगदान देता है तो उसे अपनी पूर्ववर्ती विभाग से "नो ड्यूज" का प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

(6) संबंधित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही रहेगी, जो लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 25 जून, 2021 द्वारा निर्धारित है और विभाग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि भिन्न-भिन्न होने की दशा में भी ज्येष्ठता क्रमांक लोक सेवा आयोग की संस्तुति के आधार पर ही समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(7) संबंधित अभ्यर्थी प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय का शपथ-पत्र देंगे कि चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण/स्वघोषणा-पत्र/अनिवार्य शैक्षिक योग्यता आदि के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने एवं उनके संबंध में कोई विधि विरुद्ध प्रमाणित तथ्य संज्ञान में आने की दशा में उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

(8) यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(9) संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति-पत्र प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण कर लें, यदि वे निर्धारित समयावधि के अन्दर युक्तियुक्त कारण के बिना योगदान नहीं करते हैं तो यह समझा जायेगा कि वे उपर्युक्त पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन समाप्त करने की कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा।

(10) संबंधित नवनियुक्त सहायक अभियन्ता (सिविल) की तैनाती के संबंध में पृथक् से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

सं0 1869/23-4-2021-64 जनरल/21—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य चयन/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र संख्या 43/1/ई-4/2019-20टी0सी0-I, दिनांक 25 जून, 2021 द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी सुश्री तनुजा मेहता पुत्री श्री नन्दन सिंह मेहता (अनुक्रमांक-020144) को लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड-3, रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे-5,400 (सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के क्रम में पुनरीक्षित लेवल-10) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में औपबंधिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) उनकी सेवायें उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग समूह 'ख' सिविल इंजीनियरिंग सेवा नियमावली, 2004 के प्राविधानों से शासित होंगी तथा ऐसी अन्य सेवा शर्तें भी उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायें।

(2) उ0प्र0 सरकारी सेवक परिवीक्षा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016 जो उत्तर प्रदेश के समस्त सरकारी सेवकों की सेवा नियमावलियों पर अध्यारोही प्रभाव से लागू हैं, के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

(3) यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हों तो नियुक्ति-पत्र की प्राप्ति के एक माह की अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में निम्नलिखित अभिलेखों एवं सूचनाओं के साथ उपस्थित हों–

[क] केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवाओं के संबंध में घोषणा।

[ख] अपने कर्जदार होने न होने की घोषणा।

[ग] निज स्वामित्व की समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा।

[घ] एक से अधिक पत्नी/पति न होने की घोषणा।

[ङ] निजी विवरण।

[च] राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।

[छ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।

[ज] इण्डियन आफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने से संबंधित घोषणा-पत्र।

[झ] हाई स्कूल का प्रमाण-पत्र।

[ञ] वैवाहिक स्थिति में दहेज न लेने विषयक घोषणा।

(4) प्रथम नियुक्ति के समय विभाग में योगदान करने हेतु किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

(5) यदि संबंधित अभ्यर्थी दूसरे विभाग में कार्यरत हैं और वहां से नियमानुसार कार्य मुक्त होकर/पूर्ववर्ती विभाग की सेवायें छोड़कर लोक निर्माण विभाग में योगदान देता है तो उसे अपनी पूर्ववर्ती विभाग से "नो ड्यूज" का प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

(6) संबंधित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही रहेगी, जो लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 25 जून, 2021 द्वारा निर्धारित है और विभाग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि भिन्न-भिन्न होने की दशा में भी ज्येष्ठता क्रमांक लोक सेवा आयोग की संस्तुति के आधार पर ही समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(7) संबंधित अभ्यर्थी प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय का शपथ-पत्र देंगे कि चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण/स्वघोषणा-पत्र/अनिवार्य शैक्षिक योग्यता आदि के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने एवं उनके संबंध में कोई विधि विरुद्ध प्रमाणित तथ्य संज्ञान में आने की दशा में उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

(8) यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(9) संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति-पत्र प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण कर लें, यदि वे निर्धारित समयावधि के अन्दर युक्तियुक्त कारण के बिना योगदान नहीं करते हैं तो यह समझा जायेगा कि वे उपर्युक्त पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन समाप्त करने की कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा।

(10) संबंधित नवनियुक्त सहायक अभियन्ता (सिविल) की तैनाती के संबंध में पृथक् से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

सं0 1870/23-4-2021-64 जनरल/21—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य चयन/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र संख्या 43/1/ई-4/2019-20टी0सी0-I, दिनांक 25 जून, 2021 द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री मनीष कुमार सिंह पुत्र स्व0 बनारसी सिंह (अनुक्रमांक-102614) को लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड-3, रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे-5,400 (सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के क्रम में पुनरीक्षित लेवल-10) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में औपबंधिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) उनकी सेवायें उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग समूह 'ख' सिविल इंजीनियरिंग सेवा नियमावली, 2004 के प्राविधानों से शासित होंगी तथा ऐसी अन्य सेवा शर्तें भी उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायें।

(2) उ0प्र0 सरकारी सेवक परिवीक्षा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016 जो उत्तर प्रदेश के समस्त सरकारी सेवकों की सेवा नियमावलियों पर अध्यारोही प्रभाव से लागू हैं, के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

(3) यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हों तो नियुक्ति-पत्र की प्राप्ति के एक माह की अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में निम्नलिखित अभिलेखों एवं सूचनाओं के साथ उपस्थित हों—

[क] केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवाओं के संबंध में घोषणा।

[ख] अपने कर्जदार होने न होने की घोषणा।

[ग] निज स्वामित्व की समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा।

[घ] एक से अधिक पत्नी/पति न होने की घोषणा।

[ङ] निजी विवरण।

[च] राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।

[छ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।

[ज] इण्डियन आफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने से संबंधित घोषणा-पत्र।

[झ] हाई स्कूल का प्रमाण-पत्र।

[ञ] वैवाहिक स्थिति में दहेज न लेने विषयक घोषणा।

(4) प्रथम नियुक्ति के समय विभाग में योगदान करने हेतु किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

(5) यदि संबंधित अभ्यर्थी दूसरे विभाग में कार्यरत हैं और वहां से नियमानुसार कार्य मुक्त होकर/पूर्ववर्ती विभाग की सेवायें छोड़कर लोक निर्माण विभाग में योगदान देता है तो उसे अपनी पूर्ववर्ती विभाग से "नो ड्यूज" का प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

(6) संबंधित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही रहेगी, जो लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 25 जून, 2021 द्वारा निर्धारित है और विभाग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि भिन्न-भिन्न होने की दशा में भी ज्येष्ठता क्रमांक लोक सेवा आयोग की संस्तुति के आधार पर ही समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(7) संबंधित अभ्यर्थी प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय का शपथ-पत्र देंगे कि चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण/स्वघोषणा-पत्र/अनिवार्य शैक्षिक योग्यता आदि के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने एवं उनके संबंध में कोई विधि विरुद्ध प्रमाणित तथ्य संज्ञान में आने की दशा में उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

(8) यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(9) संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति-पत्र प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण कर लें, यदि वे निर्धारित समयावधि के अन्दर युक्तियुक्त कारण के बिना योगदान नहीं करते हैं तो यह समझा जायेगा कि वे उपर्युक्त पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन समाप्त करने की कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा।

(10) संबंधित नवनियुक्त सहायक अभियन्ता (सिविल) की तैनाती के संबंध में पृथक् से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

सं0 1871/23-4-2021-64 जनरल/21—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य चयन/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र संख्या 43/1/ई-4/2019-20टी0सी0-I, दिनांक 25 जून, 2021 द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री अमित यादव पुत्र श्री सूरजभान यादव (अनुक्रमांक-027468) को लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड-3, रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे-5,400 (सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के क्रम में पुनरीक्षित लेवल-10) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में औपबंधिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) उनकी सेवायें उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग समूह 'ख' सिविल इंजीनियरिंग सेवा नियमावली, 2004 के प्राविधानों से शासित होंगी तथा ऐसी अन्य सेवा शर्तें भी उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायें।

(2) उ0प्र0 सरकारी सेवक परिवीक्षा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016 जो उत्तर प्रदेश के समस्त सरकारी सेवकों की सेवा नियमावलियों पर अध्यारोही प्रभाव से लागू हैं, के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

(3) यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हों तो नियुक्ति-पत्र की प्राप्ति के एक माह की अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में निम्नलिखित अभिलेखों एवं सूचनाओं के साथ उपस्थित हों–

[क] केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवाओं के संबंध में घोषणा।

[ख] अपने कर्जदार होने न होने की घोषणा।

[ग] निज स्वामित्व की समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा।

[घ] एक से अधिक पत्नी/पति न होने की घोषणा।

[ङ] निजी विवरण।

[च] राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।

[छ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।

[ज] इण्डियन आफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने से संबंधित घोषणा-पत्र।

[झ] हाई स्कूल का प्रमाण-पत्र।

[ञ] वैवाहिक स्थिति में दहेज न लेने विषयक घोषणा।

(4) प्रथम नियुक्ति के समय विभाग में योगदान करने हेतु किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

(5) यदि संबंधित अभ्यर्थी दूसरे विभाग में कार्यरत हैं और वहां से नियमानुसार कार्य मुक्त होकर/पूर्ववर्ती विभाग की सेवायें छोड़कर लोक निर्माण विभाग में योगदान देता है तो उसे अपनी पूर्ववर्ती विभाग से "नो ड्यूज" का प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

(6) संबंधित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही रहेगी, जो लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 25 जून, 2021 द्वारा निर्धारित है और विभाग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि भिन्न-भिन्न होने की दशा में भी ज्येष्ठता क्रमांक लोक सेवा आयोग की संस्तुति के आधार पर ही समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(7) संबंधित अभ्यर्थी प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय का शपथ-पत्र देंगे कि चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण/स्वघोषणा-पत्र/अनिवार्य शैक्षिक योग्यता

आदि के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने एवं उनके संबंध में कोई विधि विरुद्ध प्रमाणित तथ्य संज्ञान में आने की दशा में उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

(8) यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(9) संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति-पत्र प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण कर लें, यदि वे निर्धारित समयावधि के अन्दर युक्तियुक्त कारण के बिना योगदान नहीं करते हैं तो यह समझा जायेगा कि वे उपर्युक्त पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन समाप्त करने की कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा।

(10) संबंधित नवनियुक्त सहायक अभियन्ता (सिविल) की तैनाती के संबंध में पृथक् से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,
दुर्गा सिंह,
अनु सचिव।

पी0एस0यू0पी0—48 हिन्दी गजट—भाग 1—2022 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 26 फरवरी, 2022 ई० (फाल्गुन 7, 1943 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

कार्यालय, महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश शिविर, लखनऊ

03 नवम्बर, 2021 ई0

सं0 2412(1-14)/अनु0-2/तीन-ए-425/शि0का0लख0/2021–सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन/विशेष चयन) परीक्षा, 2020 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के आधार पर उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-4 के पत्र संख्या 167/आ/का-4-2021, दिनांक 16 अगस्त, 2021 द्वारा आवंटित अभ्यर्थियों की सूची के अनुसार अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण कराते हुये नियुक्ति-पत्र निर्गत करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। कार्मिक अनुभाग-4 के पत्र दिनांक 16 अगस्त, 2021 के अनुक्रम में नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुये श्री आशीष अभिजीत पुत्र श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय, निवासी सी-138, रोड नं0-4 नीयर होटल अमलतास, अशोक नगर, जनपद रांची (झारखण्ड) को उप रजिस्ट्रार के पद पर वेतन बैण्ड-3 वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु0 5,400 यथा संशोधित पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10, रु0 56,100 से रु0 1,77,500 में पदभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है–

2–श्री आशीष अभिजीत उप रजिस्ट्रार के पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेंगे तथा परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यदि यह परिवीक्षाकाल में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहते हैं अथवा इनके कार्य एवं आचरण से ऐसा प्रतीत होता है कि यह उप रजिस्ट्रार के पद पर स्थायी नियुक्ति के लिये उपयुक्त नहीं है तो इनकी सेवायें बिना किसी प्रतिकर के उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम 19(3) के अनुसार परिवीक्षा अवधि के मध्य अथवा अन्त में समाप्त कर दी जायेगी। श्री आशीष अभिजीत को देय वेतन इत्यादि उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम 22 एवं 23 तथा समय-समय पर यथा संशोधित नियमों के अधीन अनुमन्य होंगी। यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है तथा किसी भी समय एक माह की नोटिस अथवा एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।

3–नियुक्ति आदेश की प्राप्ति पर उप रजिस्ट्रार के पद पर पदभार ग्रहण करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण-पत्र/सूचनायें प्रस्तुत की जायेगी–

(1) आयु, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता/आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रतियां।

(2) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत की गयी अब तक की सेवा के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।

(3) इण्डियन आफिसियल सिक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।

(4) अपने कर्जदार न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

(5) एक से अधिक पत्नी/पति न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

(6) समस्त चल-अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप पर घोषणा-पत्र।

(7) दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र मूलरूप में।

(8) भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

4–नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 (समय-समय पर संशोधित) के प्राविधानों से शासित होंगी तथा ऐसी अन्य समस्त शर्तें भी उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेंगी।

5–नियुक्त अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम 20 तथा समय-समय पर यथासंशोधित नियमों के अन्तर्गत स्थायीकरण किया जायेगा।

6–विहित प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त स्वतंत्र रूप से उप रजिस्ट्रार के पद पर तैनाती होने पर रु0 750.00 (रुपये सात पचास मात्र) का बचत-पत्र महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश के पक्ष में जमानत के रूप में तैनाती स्थल के जिला में जमा करनी होगी तथा साक्ष्य स्वरूप छाया प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

7–नव नियुक्त उप रजिस्ट्रार पदभार ग्रहण करने की तिथि से उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम 18(6) के अन्तर्गत छः सप्ताह का प्रशिक्षण उप निबन्धक कार्यालय, नोएडा प्रथम, गौतमबुद्धनगर से सम्बद्ध रहकर नियमानुसार प्राप्त करेंगे। प्रशिक्षण की अवधि में शासनादेश संख्या 253/नौ-आर/20-1927, दिनांक 29 अगस्त, 1927 के अन्तर्गत अंगूठा लेने का भी प्रशिक्षण जिला पुलिस कार्यालय से प्राप्त करेंगे।

8–श्री आशीष अभिजीत को सूचित किया जाता है कि वह नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् दिनांक 15 नवम्बर, 2021 तक सहायक महानिरीक्षक निबन्धन (प्रथम) गौतमबुद्धनगर के कार्यालय में पदभार ग्रहण करने हेतु अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे तथा उपर्युक्त प्रस्तर-3 में उल्लिखित अभिलेखों/घोषणा-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे। यदि श्री अभिजीत दिनांक 15 नवम्बर, 2021 तक योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो यह नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी, जिसके उपरान्त कोई भी निवेदन/प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

9–श्री आशीष अभिजीत, उप रजिस्ट्रार के पद पर पदभार ग्रहण करने के उपरान्त सम्बन्धित उप निबन्धक कार्यालय में प्रशिक्षण के मध्य दिनांक 22 नवम्बर, 2021 से दिनांक 03 दिसम्बर, 2021 तक कार्यालय महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश शिविर, लखनऊ में उपस्थित रहकर सैद्धांतिक/व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। सैद्धांतिक/व्यवसायिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त शेष अवधि का व्यवहारिक प्रशिक्षण सम्बन्धित उप निबन्धक कार्यालय में उपस्थित होकर प्राप्त करेंगे।

10–श्री अशीष अभिजीत उप रजिस्ट्रार को प्रथम नियुक्ति पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिये कोई यात्रा-भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

डॉ0 रोशन जैकब,
आई0ए0एस0,
महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(नियुक्ति प्राधिकारी)।

भदोही के जिलाधिकारी की आज्ञा

25 अक्टूबर, 2021 ई0

सं0 2324/डी0एल0आर0सी0/2021—शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आर्यका अखौरी, जिलाधिकारी, भदोही, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्ध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेती हूं—

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	भदोही	ज्ञानपुर	भदोही	केशवपुर सरपतहाँ	546-मि0	0.060	बंजर	पी0पी0 माडल मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु।
					676-मि0	0.010		
					679-मि0	0.030		
					योग. .	**0.100**		

आर्यका अखौरी,
जिलाधिकारी, भदोही।

अलीगढ़ के जिलाधिकारी की आज्ञायें

22 नवम्बर, 2021 ई0

सं0 912(iv)/डी0एल0आर0सी0—उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 68/3-2(जी)-1979-रा-1, दिनांक 05 सितम्बर, 1986 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सेल्वा कुमारी जे0, जिलाधिकारी, अलीगढ़, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उक्त शासनादेश दिनांक 05 सितम्बर, 1986 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेकर उसे जनपद अलीगढ़ की तहसील अतरौली के ग्राम नौगंवा में नवीन पुलिस चौकी

स्थापित किये जाने हेतु गृह (पुलिस) विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित करती हूं। इस भूमि का अन्यथा उपयोग नहीं होगा–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनग्रहित की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	अलीगढ़	अतरौली	गंगीरी	नौगंवा	132	0.077	श्रेणी 5-1 नवीन परती	पुलिस चौकी, नौगंवा स्थापित किये जाने हेतु। गृह (पुलिस) विभाग, उ0प्र0 शासन के निवर्तन पर।

सं0 913(iv)/डी0एल0आर0सी0–उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 68/3-2(जी)-1979-रा-1, दिनांक 05 सितम्बर, 1986 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग तथा शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सेल्वा कुमारी जे0, जिलाधिकारी, अलीगढ़, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उक्त शासनादेश दिनांक 05 सितम्बर, 1986 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेकर उसे जनपद अलीगढ़ की तहसील अतरौली के ग्राम बढ़ारी बुजुर्ग में नवीन पुलिस चौकी स्थापित किये जाने हेतु गृह (पुलिस) विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित करती हूं। इस भूमि का अन्यथा उपयोग नहीं होगा–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	अलीगढ़	अतरौली	गंगीरी	बढ़ारी बुजुर्ग	288	0.081	श्रेणी 5-3-ङ बंजर	पुलिस चौकी, बढ़ारी बुजुर्ग स्थापित किये जाने हेतु। गृह (पुलिस) विभाग, उ0प्र0 शासन के निवर्तन पर।

सेल्वा कुमारी जे0,
जिलाधिकारी, अलीगढ़।

आगरा के जिलाधिकारी की आज्ञायें

23 नवम्बर, 2021 ई0

सं0 976/डी0एल0आर0सी0–उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति

का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या 688/एक-1-2020-20(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं प्रभु एन0 सिंह, जिलाधिकारी, आगरा निम्नांकित अनुसूची में उल्लिखित सार्वजनिक उपयोग हेतु सुरक्षित गांव सभा भूमि को, जो अब तक उपर्युक्त शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं तथा कालम-6 व 7 में उल्लिखित विवरण के अनुसार इटावा बाउंड डान ट्रेन के लिये भांडई फ्लाई ओवर (10 किमी) के निर्माण हेतु रेल विभाग के निवर्तन पर रखते हुये शासकीय हित में सशुल्क हस्तान्तरित करता हूं–

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	राजस्व ग्राम	गाटा/प्लॉट		भूमि की श्रेणी	विवरण/प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनग्रहित की जा रही है
					संख्या	क्षेत्रफल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	आगरा	फतेहाबाद	फतेहाबाद	करौधना	607	0.0054	चकमार्ग	इटावा बाउंड डाउन ट्रेन के लिये भांडई फ्लाई ओवर (10 किमी) के निर्माण हेतु।
					645	0.0080		
					649	0.0033		
					योग. .	**0.0167**		

सं0 977/डी0एल0आर0सी0–उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या 688/एक-1-2020-20(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं प्रभु एन0 सिंह, जिलाधिकारी, आगरा निम्नांकित अनुसूची में उल्लिखित सार्वजनिक उपयोग हेतु सुरक्षित गांव सभा भूमि को, जो अब तक उपर्युक्त शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं तथा कालम-6 व 7 में उल्लिखित विवरण के अनुसार इटावा बाउंड डाउन ट्रेन के लिये भांडई फ्लाई ओवर (10 किमी) के निर्माण हेतु रेल विभाग के निवर्तन पर रखते हुये सशुल्क हस्तान्तरित करता हूं–

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	राजस्व ग्राम	गाटा/प्लॉट		भूमि की श्रेणी	विवरण/प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनग्रहित की जा रही है
					संख्या	क्षेत्रफल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	आगरा	फतेहाबाद	फतेहाबाद	सूरजपुरा	124	0.0216	चकमार्ग	इटावा बाउंड डाउन ट्रेन के लिये भांडई फ्लाई ओवर (10 किमी) के निर्माण हेतु।
					67	0.0082	नाली	
					62	0.0144	चकमार्ग	
					61	0.0078	नाली	
					46	0.0037	नाली	
					45	0.0032	चकमार्ग	
					241	0.0090	रास्ता	
					योग. .	**0.0679**		

सं0 978/डी0एल0आर0सी0–उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या 688/एक-1-2020-20(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं प्रभु एन0 सिंह, जिलाधिकारी, आगरा निम्नांकित अनुसूची में उल्लिखित सार्वजनिक उपयोग हेतु सुरक्षित गांव सभा भूमि को, जो अब तक उपर्युक्त शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं तथा कालम-6 व 7 में उल्लिखित विवरण के अनुसार इटावा बाउंड डाउन ट्रेन के लिये भांडई फ्लाई ओवर (10 किमी) के निर्माण हेतु रेल विभाग के निवर्तन पर रखते हुये शासकीय हित में हस्तान्तरित करता हूं–

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	राजस्व ग्राम	गाटा/प्लॉट		भूमि की श्रेणी	विवरण/प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनग्रहीत की जा रही है
					संख्या	क्षेत्रफल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	आगरा	फतेहाबाद	फतेहाबाद	टोंडरा	07	0.0320	चकमार्ग	इटावा बाउंड डाउन ट्रेन के लिये भांडई फ्लाई ओवर (10 किमी) के निर्माण हेतु।
					10	0.0280	चकमार्ग	
					102	0.0320	नाली	
					99	0.0050	नाली	
					98	0.0120	नाली	
					97	0.0170	चकमार्ग	
					89	0.0120	नाली	
					88	0.0160	चकमार्ग	
					84	0.0140	नाली	
					68	0.0400	चकमार्ग	
					योग. .	**0.2080**		

सं0 979/डी0एल0आर0सी0–उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या 688/एक-1-2020-20(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं प्रभु एन0 सिंह, जिलाधिकारी, आगरा निम्नांकित अनुसूची में उल्लिखित सार्वजनिक उपयोग हेतु सुरक्षित गांव सभा भूमि को, जो अब तक उपर्युक्त शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं तथा कालम-6 व 7 में उल्लिखित विवरण के अनुसार इटावा

बाउंड डाउन ट्रेन के लिये भांडई फ्लाई ओवर (10 किमी) के निर्माण हेतु उत्तर मध्य रेल विभाग के निवर्तन पर रखते हुये शासकीय हित में हस्तान्तरित करता हूं–

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	राजस्व ग्राम	गाटा/प्लॉट		भूमि की श्रेणी	विवरण/प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनग्रहीत की जा रही है
					संख्या	क्षेत्रफल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	आगरा	सदर	सदर	कुठावली	316	0.0010	नाली/गूल	इटावा बाउंड डाउन ट्रेन के लिये भांडई फ्लाई ओवर (10 किमी) के निर्माण हेतु।
					317	0.0010	मुख्य मार्ग	
					318	0.0030	मुख्य मार्ग	
					329	0.0250	मुख्य मार्ग	
					328	0.0100	नाली/गूल	
					336	0.0290	चकमार्ग	
					434	0.0140	मुख्य मार्ग	
					435	0.0030	चकमार्ग	
					428	0.0150	मुख्य मार्ग	
					420	0.0040	चकमार्ग	
					418	0.0110	चकमार्ग	
					429	0.0030	चकमार्ग	
					455	0.0880	नदी	
					योग. .	**0.2070**		

सं0 980/डी0एल0आर0सी0–उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या 688/एक-1-2020-20(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं प्रभु एन0 सिंह, जिलाधिकारी, आगरा निम्नांकित अनुसूची में उल्लिखित सार्वजनिक उपयोग हेतु सुरक्षित गांव सभा भूमि को, जो अब तक उपर्युक्त शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं तथा कालम-6 व 7 में उल्लिखित विवरण के अनुसार इटावा

बाउंड डाउन ट्रेन के लिये भांडई फ्लाई ओवर (10 किमी) के निर्माण हेतु उत्तर मध्य रेल विभाग के निवर्तन पर रखते हुये शासकीय हित में हस्तान्तरित करता हूं–

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	राजस्व ग्राम	गाटा/प्लॉट		भूमि की श्रेणी	विवरण/प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनग्रहित की जा रही है
					संख्या	क्षेत्रफल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	आगरा	सदर	सदर	कुठावली	463	0.0110 में से 0.0030	बंजर श्रेणी-5-3-ङ	इटावा बाउंड डाउन ट्रेन के लिये भांडई फ्लाई ओवर (10 किमी) के निर्माण हेतु।

प्रभु एन0 सिंह,
जिलाधिकारी, आगरा।

जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्ति

लोक निर्माण विभाग

प्रारूप-18

10 दिसम्बर, 2021 ई0

सं0 1732/आठ-विभू0अ0अ0(सं0सं0)/सहारनपुर–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन जनपद सहारनपुर के सुनियोजित विकास हेतु उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर की राय है, कि महायोजना के अनुसार निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सहारनपुर के माध्यम से जनपद सहारनपुर में डी0एफ0सी0सी0 रूट के अन्तर्गत उत्तर रेलवे के मेरठ-सहारनपुर रेल खण्ड के सम्पार संख्या 78 एवं 79 निकट नागल रेलवे स्टेशन पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु एवं पहुंच मार्ग के निर्माण के लिये जनपद सहारनपुर, तहसील देवबन्द, परगना नागल, ग्राम मीरपुर मोहनपुर एवं रामदासपुर उर्फ नागल में कुल 0.5389 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है–

1–सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि "उक्त भूमि अर्जन/अधिग्रहण के मामलों में अधिनियम की धारा 4 में दी गयी व्यवस्थाओं में उन क्षेत्रों में जहां इस प्रकार की क्षमता वाली एजेन्सियां उपलब्ध न हों अर्थात लागत लाभ की दृष्टि से ऐसी एजेन्सियों को नियुक्त किया जाना अव्यावहारिक हो, तब राज्य सरकार सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया अपने कर्मियों अथवा अधिकारियों से करा सकेगी"। "उक्त प्रकरण में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु जनपद सहारनपुर में कोई एजेन्सी उपलब्ध नहीं है" द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी। जिसे समुचित सरकार द्वारा संख्या 1724/आठ-वि0भू0अ0अ0(सं0सं0)/सहारनपुर, दिनांक 08 दिसम्बर, 2021 को अनुमोदित किया गया है।

2–भूमि अर्जन के कारण प्रश्नगत ग्राम में कोई परिवार विस्थापित नहीं होगा।

3–उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 414/एक-13-2014-7क(8)/2014, लखनऊ दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा सम्बन्धित तहसील के यथा स्थिति सहायक कलेक्टर या उपकलेक्टर को उनकी अपनी-अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर "पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक" नियुक्त किया गया है। इस शासनादेश के अनुक्रम में उपजिलाधिकारी, सदर को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

4–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिये सहर्ष सहमति देते हैं।

अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या/ खसरा संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
सहारनपुर	देवबन्द	नागल	मीरपुर मोहनपुर	369/1	0.0329
				369/2	0.0286
				369/4	0.0472
				369/3	0.0472
				29	0.0550
				74	0.0336
				77	0.0720
				185	0.0364
				186	0.0175
				187	0.0285
				196	0.0595
			रामदासपुर उर्फ नागल	116	0.0118
				125	0.0216
				129	0.0143
				130	0.0328
				योग. .	**0.5389**

5–अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिये समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिये राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

6–अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर, सहारनपुर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

7–अधिनियम की धारा 11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर, सहारनपुर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर, सहारनपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
राज्य सरकार/कलेक्टर,
सहारनपुर।

NOTIFICATION

December 10, 2021

No. 1732/VIII-S.L.A.O./SRE–Under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector for the purpose of well planned development of District Saharanpur is of the opinion that a total of 0.5389 hectares of land is required in the Village–Meerpur Mohanpur and Ramdaspur *urf* Nagal, Pargana–Nagal, Tehsil–Deoband, District–Saharanpur for public purpose namely India Government Project two lane ROB on DFCC Route cum LHS in LIEU at L-xing 78 & 79 on Meerut-Saharanpur Rail Section Near Nagal Railway Station in Distt. Saharanpur.

1. Social Impact Assessment study was carried out by independent multidisciplinary expert group and it has submitted its recommendations to be Appropriate Government Agency which has approved the social impact assessment carried out through its Letter No. 1724/VIII-S.L.A.O./SRE, dated 08-12-2021.

2. Due to land acquisition no family is being displaced in the said Village.

3. Govt. of Uttar Pradesh through his Notification no. 414/I-13-2014-7ka(8)/2014, dated August 06, 2014 has appointed all Assistant Collectors or Deputy Collector as the case may be of the concerned Tehsil of Uttar Pradesh as ''Administrator for Rehabilitation and Resettlement'' within their respective territorial Jurisdiction. According to above Govt. order Sub Divisional Magistrate, Tehsil Sadar is appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement for the project affected families.

4. Therefore, the Governor is pleased to accept and notify for general information that land mentioned in the Schedule given below is needed for public purpose.

Schedule

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Saharanpur	Deoband	Nagal	Meerpur Mohanpur	369 / 1	0.0329
				369 / 2	0.0286
				369 / 4	0.0472
				369 / 3	0.0472
				29	0.0550
				74	0.0336
				77	0.0720

1	2	3	4	5	6
					Hectare
Saharanpur	Deoband	Nagal	Meerpur Mohanpur	185	0.0364
				186	0.0175
				187	0.0285
				196	0.0595
			Ramdaspur *Urf* Nagal	116	0.0118
				125	0.0216
				129	0.0143
				130	0.0328
				Total . .	0.5389

5. The Governor is also pleased to authorize the Collector, District Saharanpur Nagar for the purpose of land acquisition to takes necessary steps to enterupon, conduct survey of land, take levels of any land, dig into the sub-soil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

6. Under section 15 of the Act, any person whose interest lies in the land in question may within a period of 60 days after the publication of this notification, make an objection on acquisition of land in the locility in writing to the Collector, Saharanpur Nagar.

7. Under section 11 (4) of the Act, no person without prior approval of the Collector, Saharanpur Nagar shall make any transaction or cause any transaction of land *i.e.* sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed.

NOTE–A plan of land taken up for such acquisition can be seen in the Office of the Collector, Saharanpur Nagar.

(*Sd.)* ILLEGIBLE,
State Government/Collector,
Saharanpur.

लोक निर्माण विभाग

प्रारूप-18

(नियम-20 का उपनियम (2)

10 दिसम्बर, 2021 ई0

सं0 1733/आठ-वि0भू0अ0अ0(सं0सं0)/सहारनपुर–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन जनपद सहारनपुर के सुनियोजित विकास हेतु उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर की राय है, कि महायोजना के अनुसार निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सहारनपुर के माध्यम से जनपद सहारनपुर में डी0एफ0सी0सी0 रूट के अन्तर्गत उत्तर रेलवे के मेरठ-सहारनपुर रेल खण्ड के सम्पार संख्या 75 निकट तलहेडी बुजुर्ग रेलवे स्टेशन पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु एवं

पहुंच मार्ग के निर्माण) के लिये जनपद सहारनपुर, तहसील देवबन्द, परगना नागल, ग्राम मीरपुर मोहनपुर एवं रामदासपुर उर्फ नागल में कुल 0.12102 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है–

1–सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि "उक्त भूमि अर्जन/अधिग्रहण के मामलों में अधिनियम की धारा 4 में दी गयी व्यवस्थाओं में "उन क्षेत्रों में जहां इस प्रकार की क्षमता वाली एजेन्सियां उपलब्ध न हों अर्थात् लागत लाभ की दृष्टि से ऐसी एजेन्सियों को नियुक्त किया जाना अव्यावहारिक हो, तब राज्य सरकार सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया अपने कर्मियों अथवा अधिकारियों से करा सकेगी"। उक्त प्रकरण में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु जनपद सहारनपुर में कोई एजेन्सी उपलब्ध नहीं है" द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी। जिसे समुचित सरकार द्वारा संख्या 1724/आठ-वि0भू0अ0अ0(सं0सं0)/सहारनपुर, दिनांक 08 दिसम्बर, 2021 को अनुमोदित किया गया है।

2–भूमि अर्जन के कारण प्रश्नगत ग्राम में कोई परिवार विस्थापित नहीं होगा।

3–उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 414/एक-13-2014-7क(8)/2014, लखनऊ दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा सम्बन्धित तहसील के यथा स्थिति सहायक कलेक्टर या उप कलेक्टर को उनकी अपनी-अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर "पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक" नियुक्त किया गया है। इस शासनादेश के अनुक्रम में उपजिलाधिकारी, सदर को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

4–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिये सहर्ष सहमति देते हैं–

अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या/खसरा संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
सहारनपुर	देवबन्द	नागल	मनोहरपुर	223	0.01555
				224	0.00408
				225	0.01152
				226	0.02621
				230	0.02450
				246	0.00821
				251	0.00703
				250	0.02392
				योग. .	**0.12102**

5–अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिये समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिये राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

6–अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर, सहारनपुर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

7–अधिनियम की धारा 11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर, सहारनपुर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थल-नक्शा कलेक्टर, सहारनपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
राज्य सरकार/कलेक्टर,
सहारनपुर।

NOTIFICATION

December 10, 2021

No. 1733/VIII-S.L.A.O./SRE–Under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector for the purpose of well planned development of District Saharanpur is of the opinion that a total of 0.5389 hectares of land is required in the Village–Meerpur Mohanpur and Ramdaspur *urf* Nagal, Pargana–Nagal, Tehsil–Deoband, District–Saharanpur for public purpose namely India Government Project two lane ROB on DFCC Route cum LHS in LIEU at L-xing 75 on Meerut-Saharanpur Rail Section Near Talhari Bujurg Railway Station in Distt. Saharanpur.

1. Social Impact Assessment study was carried out by independent multidisciplinary expert group and it has submitted its recommendations to be Appropriate Government Agency which has approved the social impact assessment carried out through its Letter No. 1724/VIII-S.L.A.O./SRE, dated 08-12-2021.

2. Due to land acquisition no family is being displaced in the said Village.

3. Govt. of Uttar Pradesh through his Notification no. 414/I-13-2014-7ka(8)/2014, dated August 06, 2014 has appointed all Assistant Collectors or Deputy Collector as the case may be of the concerned Tehsil of Uttar Pradesh as ''Administrator for Rehabilitation and Resettlement'' within their respective territorial Jurisdiction. According to above Govt. order Sub Divisional Magistrate, Tehsil Sadar is appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement for the project affected families.

4. Therefore, the Governor is pleased to accept and notify for general information that land mentioned in the Schedule given below is needed for public purpose.

Schedule

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Saharanpur	Deoband	Nagal	Manoharpur	223	0.01555
				224	0.00408
				225	0.01152
				226	0.02621
				230	0.02450
				246	0.00821
				251	0.00703
				250	0.02392
				Total . .	0.12102

5. The Governor is also pleased to authorize the Collector, District Saharanpur Nagar for the purpose of land acquisition to takes necessary steps to enter upon, conduct survey of land, take levels of any land, dig into the sub-soil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

6. Under section 15 of the Act, any person whose interest lies in the land in question may within a period of 60 days after the publication of this notification, make an objection on acquisition of land in the locility in writing to the Collector, Saharanpur Nagar.

7. Under section 11 (4) of the Act, no person without prior approval of the Collector, Saharanpur Nagar shall make any transaction or cause any transaction of land *i.e.* sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed.

NOTE–A plan of land taken up for such acquisition can be seen in the Office of the Collector, Saharanpur Nagar.

(*Sd.)* ILLEGIBLE,
State Government/Collector,
Saharanpur.

पी0एस0यू0पी0–48 हिन्दी गजट–भाग 1-क–2022 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 26 फरवरी, 2022 ई० (फाल्गुन 7, 1943 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

सूचना

फर्म मेसर्स श्री जी बिल्डर्स एण्ड कॉन्ट्रैक्टर्स-26, यशोदा कुंज, मवाना रोड, मेरठ, उ0प्र0 की डीड ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशीप (विघटन डीड) दिनांक 11 सितम्बर, 2021 के अनुसार साझीदार श्री धीरेन्द्र सिंह व श्रीमती डॉली सिंह के द्वारा आपसी सहमती से फर्म साझेदारी का विघटन कर लिया गया है व निर्णय लिया गया है कि श्रीमती डॉली फर्म साझेदारी के विघटन पश्चात् फर्म के नाम शीर्षक मेसर्स श्री जी बिल्डर्स एण्ड कॉन्ट्रैक्टर्स के व्यापार का संचालन करेगी।

डॉली,
साझीदार।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स जय हिन्द एजेन्सीज, पता-43 इस्लामियां कालेज मार्केट, बरेली, उत्तर प्रदेश में जिसकी पत्रावली संख्या B-14748 में साझेदार श्री योगेश चन्द्र पुत्र श्री सतीश चन्द्र निवासी 129/3 डी सिविल लाइन्स बरेली, उ0प्र0-243001 स्वेच्छा से अन्य साझेदारों की सहमति से दिनांक 14 जनवरी, 2022 से उपरोक्त फर्म से अलग/रिटायर हो रहा है वर्तमान में दो साझेदार क्रमशः श्री आयुष अग्रवाल व श्री अमन अग्रवाल पुत्रगण श्री मुकेश अग्रवाल, निवासीगण 235 ख्याजा कुतुब बिहारीपुर बरेली, उत्तर प्रदेश हैं।

आयुष अग्रवाल,
साझेदार,
मेसर्स जय हिन्द एजेन्सीज,
पता 48 इस्लामियां कालेज मार्केट,
बरेली, उत्तर प्रदेश-243003।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है मेसर्स गोपाल सर्विस स्टेशन, एनएच-235, जी0टी0 रोड, गुलावठी, जिला बुलन्दशहर-203408 की साझीदारी दिनांक 01 अगस्त, 2017 के अनुसार श्री मूल चन्द्र अग्रवाल एवं श्री नरेश कुमार साझीदार थे। फर्म की साझीदारी में दिनांक 15 फरवरी, 2022 को श्री विपिन अग्रवाल सम्मिलित हुये तथा

श्री मूल चन्द्र अग्रवाल साझीदारी से अपना हिसाब-किताब ले देकर अलग हो गये हैं। वर्तमान में श्री नरेश कुमार एवं श्री विपिन अग्रवाल साझीदार है। यह घोषणा करता हूं कि एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

नरेश कुमार,
साझीदार,
मेसर्स गोपाल सर्विस स्टेशन,
एन एच-235, जी0टी0 रोड,
गुलावठी, जिला बुलन्दशहर-203408।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं उमाशंकर पोद्दार पुत्र स्वर्गीय अनंतराम पोद्दार पैन नम्बर-AJOPP1741Q आधार नम्बर 566630189656 रेशम वस्त्रालय में साझीदार हूं। जिसका रजिस्टर्ड कार्यालय सी0के0 21/34 शाह गोपाल लेन, लक्खी चौतरा, चौक वाराणसी है। इस फर्म का गठन दिनांक 24 जून, 2017 को हुआ। फर्म के अन्य साझीदार आशीष पोद्दार, बीना पोद्दार, अमिता पोद्दार एवं रेशम वस्त्रालय प्राईवेट लिमिटेड है। इसमें प्रथम परिवर्तन दिनांक 01 अप्रैल, 2018 को वेल्किन ट्रेड लिंक प्राइवेट लिमिटेड को साझीदार के रूप में शामिल किया गया। फर्म में उपरोक्त छह साझीदार वर्तमान में हैं।

उमाशंकर पोद्दार।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स सूर्या इन्फ्रा डेवलपर्स, पता-13/20, इन्दिरा नगर, लखनऊ 226016, पंजीयन संख्या LUC/0002986 में दिनांक 18 दिसम्बर, 2021 से दो नये साझेदार श्रीमती प्रीती पाण्डेय पत्नी श्री मोहित पाण्डेय व श्री उत्कर्ष बाजपेई पुत्र श्री उमेश कुमार बाजपेई दिनांक 18 दिसम्बर, 2021 से उक्त फर्म में स्वेच्छा से सम्मिलित हो रहे हैं, जिसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

एतद्द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें मेरे द्वारा स्वयं पूर्ण की गयी है।

अशोक कुमार अग्रवाल,
साझेदार,
फर्म मेसर्स सूर्या इन्फ्रा डेवलपर्स,
पता 13/20, इन्दिरा नगर,
लखनऊ-226016।

NOTICE

Notice is hereby given that my correct name is Siraj Ahmad while by mistake has been mentioned as Seraj Ahmad Ansari in the class 10th passing certificate (2021) (CBSE Board) of my daughter named Vainizah D/o Siraj Ahmad.

Siraj Ahmad
S/o Mohd. Abbas,
R/o 474 Dariyabad, Prayagraj.

पी0एस0यू0पी0–48 हिन्दी गजट–भाग 8–2022 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।